



**कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय पिरदा
जिला-महासमुन्द (छ.ग.)**

Website : govtcollegepirda.ac.in

Email- navincollegepirda2018@gmail.com

:: तम्बाकू मुक्त प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के अंतर्गत शासकीय नवीन महाविद्यालय पिरदा, जिला-महासमुन्द परिसर में तम्बाकू निषेध की चेतावनी बोर्ड का प्रदर्शन किया गया है ।

- महाविद्यालय परिसर के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद का बिक्री प्रतिबंधित है, एवं यह धारा-24 के अंतर्गत रूपये 200/- जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध है ।
- महाविद्यालय परिसर सीमा के 100 मीटर के अंदर कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान नहीं है ।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी स्टॉफ एवं आगंतुकों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन पूर्णतः निषेध है ।

नवीन कुमार साहू
यूथ रेडक्रॉस प्रभारी

कौंसलर
भारतीय रेडक्रॉस इकाई
शास नवीन महाविद्यालय
पिरदा (छ ग)

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय पिरदा
शासकीय नवीन महाविद्यालय पिरदा
जिला-महासमुन्द (छ.ग.)